रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-07022026-269929
CG-TL-E-07022026-269929

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549] नई दिल्ली, शुक्रवार , फरवरी 6, 2026/माघ 17, 1947
No. 549] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 6, 2026/MAGHA 17, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 6 फरवरी, 2026

का.आ. 579(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 20ए की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात् कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची में दिया गया है, अर्थात् मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिला में खंडवा-अकोला के बीच आमान परिवर्तन (गेज-कनवर्जन) कार्य हेतु विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, एतद्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने की अपनी इच्छा की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितप्रद्ध कोई भी व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उप-धार (I) के अंतर्गत उपर्युक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग के संबंध में सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की अवधी के भीतर भू-अर्जन में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है.

ऐसी प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नेपानगर, जिला बुरहानपुर को लिखित रूप में दी जाएगी और उसके आधारों को निर्धारित की जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद तथा आगे ऐसी जांच करने के बाद, यदि सक्षम प्राधिकारी यह आवश्यक समझता है तो वह किसी आदेश द्वारा आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है.

उक्त अधिनियम की धारा 20(डी) की उप-धारा (II) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी का कोई भी आदेश अंतिम होगा.

इस अधिसूचना के अंतर्गत शामिल की गई भूमि की भू-योजनाएं और अन्य विवरण उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध हैं तथा इच्छुक व्यक्ति द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकता है.

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में अकोला-खंडवा के बीच विशेष रेलवे परियोजना के लिए किसी संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण:

राज्य मध्यप्रदेश **जिला बुरहानपुर**

क्र.सं.	सर्वे/प्लाट नंबर/वनाधिकार पत्रक्रमांक/दावा क्रमांक	भूमिं का प्रकार	भूमिं की प्रकृति	अधिग्रहित की जाने वाली भूमिं का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
तहसील : खकनार ग्राम : तुकईथड प.ह.न. – 34				
1	103/1/1/1	निजी	कृषि	विलोपित
2	104/1	निजी	कृषि	400
3	282/1	निजी	व्यावसायिक परिवर्तित	23
4	285/2	निजी	कृषि	60
5	286	निजी	व्यावसायिक परिवर्तित	14
			योग	**497**

[फा. सं. W.Con.153/N/95/AK-AOT/20A/060226]

मोहित वर्मा, मुख्य इंजीनियर/निर्माण –V

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 6TH February, 2026

S.O. 579(E).—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 20(A) of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for public purposes, the land, thebrief description of which is set out in the schedule appended hereto, hereby declares its intention to acquire such land as is necessary for the execution of the special railway project, namely, gauge conversion work between Khandwa-Akola in Burhanpur district in the State of Madhya Pradesh.

Any person interested in the said land may do so within a period of thirty days from the date of publication. This notification shall be published in the Official Gazette under sub-section (1) of section 20Dof the said Act raising objections to the acquisition and use of such land for the said act:

Every such objection shall be made to the competent authority, i.e. the Province. Sub-Divisional Officer (Revenue) Nepanagar, District Burhanpur will determine in writing and its grounds. and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard in person or by a legal practitioner and after hearing all such objections and after further investigating, if any, as the competent authority considers necessary, may, by order, Either allow or deny.

Any order made by the competent authority under sub-section (ii) of section 20(D) of the said Act shall be final.

The land plan and other details covered under this notification are available and can be inspected by the interested person in the said office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired for the special railway project with or without structure, namely, acquisition of land for gauge conversion work between Khandwa and Akola in the state of Madhya Pradesh.

State- Madhya Pradesh **District : Burhanpur**

S.N.	Survey No.	Type of land	Nature of land	Area of Land acquird (in sq. M.)
Tehsil : NepanagarVillage –Tukaithad P.H.No. 34				
1	103/1/1/1	Private	Agriculture	annihilated
2	104/1	Private	Agriculture	400
3	282/1	Private	Business Change	23
4	285/2	Private	Agriculture	60
5	286	Private	Business Change	14
			Total	**497**

[F. No. W.Con.153/N/95/AK-AOT/20A/060226]

MOHIT VERMA, Chief Engineer/Con-V.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.02.07 11:43:45 +05'30'